तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
11/2025	वकील उभयपक्ष हाजिर। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। पत्रावली निर्णय दिनांक 3/12/2025 को पेश हो। सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) कपासन जिला-चित्तौड़गढ़	
3/12/2025	वकील उभयपक्ष हाजिर। पत्रावली निर्णय हेतु पेश हुई। संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थिया की अपनी खातेदारी आराजियात मौजा बेनीपुरिया प0ह0 हिंगोरिया की आराजि 325, 326 कुल किता 2 कुल रकबा 1.64 हेक्टर में पहुंच हेतु मार्ग नहीं होने से रास्ते हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया। इसने प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस समन तलब किया। अप्रार्थीगण की ओर से श्री गोपाल पारीक का अधिकार पत्र व जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। जवाब में प्रार्थना पत्र वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली में दिनांक 1.4.2022 को प्राप्त रिपोर्ट अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा पुनः मंगवाने से दिनांक 20.9.2022 को मौका रिपोर्ट निरस्त कि जाकर पुनः मंगवाई गई। दिनांक 30/7/2024 को पुनः मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिस पर उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा पुनः मंगवाने हेतु निवेदन किया जिस पर दिनांक 8/4/2025 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर पुनः रिपोर्ट मंगवाई गई। पुनः मौका रिपोर्ट दिनांक 13/5/2025 को दिनांक 29/7/2025 को शामिल कि गई। उभयपक्ष अधिवक्ता ने दिनांक 18/11/2025 को पत्रावली में अन्तिम बहस की। वकील उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। पत्रावली व मौका रिपोर्ट दिनांक 13/5/2025 के पृष्ठ संख्या 1 से 5 का अवलोकन किया। मौका रिपोर्ट अवलोकन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि प्रार्थी की आराजियात पर पहुंच हेतु वैकल्पिक मार्ग	

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	मार्ग उपलब्ध नहीं है व प्रस्तावित मार्ग ही निकटतम मार्ग है। अतः प्रार्थी को प्रार्थना डी.एल.सी. की दुगनी दर पर समुचित रास्ता उपलब्ध कराया जाना न्यायहित में उचित व आवश्यक प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर यह निर्णय किया जाता है कि प्रार्थी की आराजियात पर पहुंच हेतु मौजा बोराथुरिया पट० ह० दिगालिया तहसील कपासन की मौका रिपोर्ट दिनांक 13/5/2025 के साथ संलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार आ० नं० 331 रकबा 0.30 हेक्टर में से 0.0480 हे० व आ० नं० 329 रकबा 0.42 हे० में से 0.0256 हेक्टर कुल 0.0736 हेक्टर की डी.एल.सी. दर 45730/- रुपये का दुगना 91460/- अक्षरे इकरानवे हजार चार सौ साठ रुपये जो की अप्रार्थीगण को राजस्व रेकार्ड में हक हिस्से अनुसार देय है कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट तहसीलदार कपासन के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर उक्त राशि अदायगी हेतु अप्रार्थीगण को नोटिस जारी करे यदि उक्त नोटिस की प्राप्ति के पश्चात अप्रार्थीगण डी.डी. प्राप्त करने हेतु उपस्थित नहीं होते है तो ऐसी स्थिति में उपरोक्त वर्णित प्रस्तावित रास्ता सिलानाथ गैर मुमकिन रास्ता राजस्व अभिलेख व हाल नक्शा ट्रेस में दर्ज किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से खारिज हो। आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला-चित्तौड़गढ